

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 54/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम

1. श्री देवेन्द्र लोढ़ा पुत्र हरि सिंह लोढ़ा विक्रेता / मालिक मैसर्स - Salt N pepper (Restorent) Near Santosh Vatika Opp. Pratap Nagar School, Pur Road , Bhilwara.  
स्थाई पता - Near Santosh Vatika Opp. Pratap Nagar School, Pur Road Bhilwara.  
—विपक्षी

— प्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

आदेश

दिनांक 27.12.2017

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी श्री देवेन्द्र लोढ़ा पुत्र हरि सिंह लोढ़ा विक्रेता / मालिक मैसर्स - Salt N pepper (Restorent) Near Santosh Vatika Opp. Pratap Nagar School, Pur Road , Bhilwara. पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् दाल, चपाती , सब्जी इत्यादि का निर्माण कर विक्रय कर रहा था। श्री देवेन्द्र लोढ़ा पुत्र हरि सिंह लोढ़ा विक्रेता / मालिक मैसर्स - Salt N pepper (Restorent) Near Santosh Vatika Opp. Pratap Nagar School, Pur Road , Bhilwara. का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता की दुकान पर स्टील के थाल में रखे हुए लगभग 10-12 किलो सब्जियों में प्रयुक्त होने वाला पनीर रखा हुआ था । जिसका प्रयोग सब्जी बनाने में किया जा रहा था । रखे हुए पनीर में मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबार कर्ता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार पनीर का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.01.2017 को समय 2.30 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु मैसर्स - Salt N pepper (Restorent) Near Santosh Vatika Opp. Pratap Nagar School, Pur Road, Bhilwara. पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से श्री देवेन्द्र लोढ़ा पुत्र हरि सिंह लोढ़ा विक्रेता / मालिक मैसर्स - Salt N pepper (Restorent) Near Santosh Vatika Opp. Pratap Nagar School, Pur Road, Bhilwara. था एवं आम जनता को पनीर इत्यादि विक्रय कर रहा था। विक्रेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस मांगा गया। विक्रेता/मालिक द्वारा मौके पर खाद्य लाईसेंस का प्रस्तुत किया गया है।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में 1 किलो पनीर एक साफ सुखी खाली स्टील के भगोनें में तुलवाकर खरीदा। इस बाबत 260/-रु. नगद देकर रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने खरीदशुदा पनीर को चार साफ सुखे खाली चौड़े मुंह के प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर मात्रा में डालकर, प्रत्येक डिब्बे में 20-20 बूंदे फार्मलीन बतौर प्रिजरेटिव डालकर, ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./14/ एक्ट / 2017/13 दिनांक 02.02.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, पनीर निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री देवेन्द्र लोढ़ा पुत्र हरि सिंह लोढ़ा विक्रेता / मालिक मैसर्स - Salt N pepper (Restorent) Near Santosh Vatika Opp. Pratap Nagar School, Pur Road, Bhilwara. द्वारा सबस्टैण्डर्ड पनीर का विक्रय एवं निर्माण कर

एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 25.07.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 28.07.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 11.09.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना पनीर सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने पनीर Milk fat content of dry matter ( सूखे पदार्थ का दूध वसायुक्त पदार्थ ) 48.99 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टैण्डर्ड पनीर निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए में अवगत कराया कि विपक्षी अनुज्ञाधारी सं. 12216016000176 दिनांक 27.09.2016 से रेस्टोरेन्ट का व्यवसाय संचालित कर रहा हैं। रेस्टोरेन्ट में खाद्य सामग्री पनीर का भी इस्तेमाल सब्जियों में किया जाता है। पनीर डेयरी से क़य किया जाता है। दुध का फेट बराबर मात्रा में नहीं होने से पनीर सब स्टैण्डर्ड जांच में पाया गया है। पनीर का उत्पादन विपक्षी द्वारा नहीं किया जाकर रेस्टोरेन्ट में सब्जियों के काम में लेने के लिये पनीर डेयरी से क़य किया जाता है। विपक्षी द्वारा पनीर में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है। पनीर सब स्टैण्डर्ड होने के संबंध में प्रथम गलती मानते हुए विपक्षी क्षमा प्रार्थी हैं।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./14/एक्ट / 2017/13 दिनांक 02.02.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, पनीर निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सब स्टैण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये खाद्य नमूने पनीर Milk fat content of dry matter ( सूखे पदार्थ का

दूध वसायुक्त पदार्थ ) 48.99 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टैण्डर्ड पनीर निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी श्री देवेन्द्र लोढ़ा पुत्र हरि सिंह लोढ़ा विक्रेता / मालिक मैसर्स - Salt N pepper (Restorent) Near Santosh Vatika Opp. Pratap Nagar School, Pur Road , Bhilwara. सब स्टैण्डर्ड पनीर का विक्रय एवं निर्माण करने के लिये दोषी है । इस प्रकार विपक्षी द्वारा सब स्टैण्डर्ड पनीर का विक्रय एवं निर्माण किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 15,000/-रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल0आर0गुगरवाल )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राजस्थान जयपुर
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
- 3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री देवेन्द्र लोढ़ा पुत्र हरि सिंह लोढ़ा विक्रेता / मालिक मैसर्स - Salt N pepper (Restorent) Near Santosh Vatika Opp. Pratap Nagar School, Pur Road , Bhilwara.  
स्थाई पता - Near Santosh Vatika Opp. Pratap Nagar School, Pur Road Bhilwara को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति0 जिला मजिस्ट्रेट  
भीलवाडा